न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 8 / रेगूलर / 2025 (GCMS No. 2025 / 85)	14.07.2025	23.09.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक,
हिण्डोली, जिला बून्दी

– प्रार्थी

बनाम

अभयलाल साहू पुत्र नारायणलाल साहू,
मैसर्स बालाजी इलेक्ट्रोनिक्स एवं मोबाईल पॉईन्ट,
ग्राम मरडिया खेरखटा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी की ओर से श्री भीमराज गोचर एडवोकेट।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, हिण्डोली द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 8 / 2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025 / 85 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 08.09.2025 को अपना जवाब पेश किया जाकर स्वयं के 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मय सामग्री अप्रार्थी को सिपुर्द करते हुए कार्यवाही को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 16.12.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डोली बहमराह श्री शिवजीराम जाट जिला रसद अधिकारी द्वारा मैसर्स बालाजी इलेक्ट्रोनिक्स एवं मोबाईल पॉईन्ट मरडिया खेरखटा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया, जहां पर 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 01 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 गैस भरने की मशीन मय 2 पाईप मय 2 रेगूलेटर उपलब्ध मिले। मौके पर उपस्थित राजू गुर्जर से व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किये जाने के संबंध मे संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अतः गैस सिलेण्डरों के अवैध भंडारण का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 01 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 गैस भरने की मशीन मय 2 पाईप मय 2 रेगूलेटर को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स हिण्डोली इण्डेन गैस, हिण्डोली के प्रतिनिधि रामावतार गुर्जर पुत्र लालाराम गुर्जर की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों मय सामग्री को राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी सी.एस.सी ग्राम मरडिया में व्यवसाय करता चला आ रहा है। अप्रार्थी ने सी.एस.सी. मांगटला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ग्रामीण एरिया में गैस की सप्लाई हेतु ले रखा है और गैस की टंकियां का सप्लाई करता था। अप्रार्थी गैस सिलेण्डर का कोई अवैध रूप से भण्डारण एवं गैर वैधानिक कार्य नहीं कर रहा था। अप्रार्थी के घर पर रखे गैस सिलेण्डर व उपकरण जब्त किये थे, जो कि सी.एस.सी के सिलेण्डर सप्लाई के लिये रखे हुये थे। अप्रार्थी की इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान होने से इलेक्ट्रोनिक्स सामानों की रिपेयरिंग करता है एवं दुकान पर ठीक होने के लिये अन्य उपकरण पडे हुये थे। अप्रार्थी को उक्त सी.एस.सी अन्य जिले से लेने के कारण झूठा व रंजिशवश फंसाया गया है। अप्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा की गयी कार्यवाही निराधार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मय सामग्री अप्रार्थी को सिपुर्द किए जाने के आदेश फरमावे।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से भण्डारण किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान पेश तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करना नियम विरूद्ध है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन गैस कि.ग्रा.
1	939159	INDIAN	14.20 कि.ग्रा.
2	104026-T	INDIAN	14.10 कि.ग्रा.
3	110489-S	INDIAN	14.10 कि.ग्रा.
4	320816-S	INDIAN	14.30 कि.ग्रा.
5	217259-T	INDIAN	00.00 कि.ग्रा.
6	23313-T	INDIAN	14.20 कि.ग्रा.
7	गैस भरने की लॉकल ब्राण्ड मशीन मय अमानक 2 पाईप एवं अमानक 2 रेगूलेटर		
		कुल गैस वजन	70.90 कि.ग्रा.

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मय सामग्री के वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी